

Amendments in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna

110. Shri Jagbir Singh Malik, M.L.A.: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state-

- a) the details of amendments made by the Government in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna; and
- b) the details of companies working for PMFBY togetherwith the district allotted to them since the inception of the scheme in State ?

JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE MINISTER, HARYANA

Sir,

- a) Government of India has, inter alia, made the following amendments in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana from Kharif 2020:
 - 1. The Scheme is now optional for all loanee and Non Loanee farmers.
 - 2. Land slide Peril has been excluded from the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.
 - 3. The contract period for the insurance Companies has been increased from one year to three years.
 - 4. The premium contribution from GoI has been restricted upto 25% for irrigated crops and any additional premium will be borne by the State Govt.

b) Districts wise insurance companies working for PMFBY from Kharif 2016 to Rabi 2022-23 is given below:-

District	Implementing Companies				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	Kharif 2020 to Rabi 2022-23
Sirsa	Reliance GIC Ltd.	ICICI Lombard	Oriental GIC	AIC of India Ltd.	AIC of India Ltd.
Bhiwani					
Faridabad					
Kurukshetra					
Kaithal					
Panchkula					
Rewari					
Hisar	Bajaj Allianz GIC Ltd.	Bajaj Allianz GIC Ltd.	SBI GIC	SBI GIC	Reliance GIC Ltd.
Sonepat					
Gurgaon					
Karnal					
Ambala					
Jind					
M. Garh					
Fatehabad	ICICI Lombard	Bajaj Allianz GIC Ltd.	Universal Sompo GIC	Bajaj Allianz GIC Ltd.	Bajaj Allianz GIC Ltd.
Rohtak					
Jajjar					
Mewat					
Palwal					
Panipat					
Y/ Nagar					
Charki Dadri	-	-			

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन

110. श्री जगबीर सिंह मलिक, एम०एल०ए० : क्या कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सरकार द्वारा किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

तथा

(ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कार्य कर रही कम्पनियों का ब्यौरा क्या है

तथा राज्य में योजना के आरम्भ से उन्हें आवंटित किये गए जिलों का ब्यौरा क्या है ?

जय प्रकाश दलाल, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

महोदय,

(क) भारत सरकार ने खरीफ 2020 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्नलिखित संशोधन किए हैं:-

1. यह योजना अब सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है।
2. भूस्खलन जोखिम को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर कर दिया है।
3. बीमा कंपनियों के लिए अनुबंध की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है।
4. सिंचित फसलों के लिए भारत सरकार के प्रीमियम अंशदान को 25% तक सीमित कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

ख) खरीफ 2016 से रबी 2022-23 तक जिला वार कार्यरत बीमा कम्पनियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

जिला	कार्यान्वयन कम्पनियां				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	खरीफ 2020 से रबी 2022-23
सिरसा	रिलायन्स जनरल बीमा कम्पनी लि०	आई०सी०आई०सी०आई० लोम्बार्ड	ओरियन्टल जनरल बीमा कम्पनी	ए०आई०सी० ऑफ इण्डिया लि०	ए०आई०सी० ऑफ इण्डिया लि०
भिवानी					
फरीदाबाद					
कुरुक्षेत्र					
कैथल					
पंचकूला					
रेवाड़ी	बजाज आलियान्ज़ जनरल बीमा कम्पनी लि०	बजाज आलियान्ज़ जनरल बीमा कम्पनी लि०	एस०बी०आई० जनरल बीमा क० लि०	एस०बी०आई० जनरल बीमा क० लि०	रिलायन्स जनरल बीमा कम्पनी लि०
हिसार					
सीनीपत					
गुरुग्राम					
करनाल					
अंबाला					
जींद	आई०सी०आई०सी०आई० लोम्बार्ड	बजाज आलियान्ज़ जनरल बीमा कम्पनी लि०	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल बीमा क० लि०	बजाज आलियान्ज़ जनरल बीमा कम्पनी लि०	बजाज आलियान्ज़ जनरल बीमा कम्पनी लि०
महेन्द्रगढ़					
फतेहाबाद					
रोहतक					
झज्जर					
मेवात					
पलवल	—	—			
पानीपत					
यमुनानगर					
चरखी दादरी					

